



105/1

दूरभाष— 2286709  
2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : १७५ / ०५/७६ / एक / २०१५-१६

दिनांक : १६ जून २०१५

संदा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-मुरादाबाद।

विषय :

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (दुड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मिलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मिलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0327000100168248	IFSC Code PUNB0032700	34.122

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मिलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०प० कुन्दरकी	मा० नूरउल्ला वार्ड सं० २ में हनीफ लोहार की दुकान से सुरेन्द्र मूषण के मकान व आस-पास की गलियों में इंटरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण का कार्य (भाग-२)	8.061
2	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०प० कुन्दरकी	मा० सादात परिचारी वार्ड नं० ७ में लईक चेयरमैन के मकान से करवाला तक इंटरलाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण का कार्य (भाग-१)	12.107
3	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०पा०प० बिलारी	न०पा०परिठ० बिलारी, के मौ० अब्दुल्ला वार्ड सं०-२१, मौ० अन्सारियान वार्ड सं०-१९, रहमत नगर वार्ड सं०-७ व वार्ड सं०-११ में सरीफ के सामने से तालाब तक मल्लू के मकान से साविर के मकान तक शकील मास्टर के मकान से इस्लाम मास्टर के मकान तक (भाग-२)	13.954
	योग				34.122

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मिलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मिलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



दूरभाष- 2286709  
2286710

नव बंगा केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाएँ या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय पिंडि/नियम एवं पर्यावरणीय बाधता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये। प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत दो गयी धनराशि का व्यव विलाय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये। परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य ने समुचित रथ-रखाय में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये। योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें। प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य समय से पूर्ण हो जायेगा। उपमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी उपयोग का स्थानान्तर अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही उपयोग अकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध उपलब्ध सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की अवशेष धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें उपलब्ध सेटोज की धनराशि एवं द्वितीय किशत में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई उपयोग के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,  
(लाल ब्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

भवदीय,  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

जिता नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।

लखनऊ- दूड़ा।